

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-146/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत
श्री सतेन्द्र सिंह खरवार—विक्रेता

प्रति
श्री अमृत सिंह—क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री सतेन्द्र सिंह, पिता-जगरनाथ सिंह, ग्राम-रमकण्डा, पोस्ट-रमकण्डा, थाना-रमकण्डा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री अमृत सिंह, पिता-स्व० देवराज सिंह, ग्राम-रमकण्डा, पोस्ट-रमकण्डा, थाना-रमकण्डा, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर का तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रमकण्डा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला करारकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रमकण्डा के पत्रांक 363/दिनांक 19.11.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के नाना राम बरन सिंह एवं अन्य के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के खरवार (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना रमकण्डा एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः अंचल अधिकारी, रमकण्डा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री सतेन्द्र सिंह, पिता-जगरनाथ सिंह, ग्राम-रमकण्डा, पोस्ट-रमकण्डा, थाना-रमकण्डा, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री अमृत सिंह, पिता-स्व० देवराज सिंह, ग्राम-रमकण्डा, पोस्ट-रमकण्डा, थाना-रमकण्डा, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री द्वारा हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-


ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
रमकण्डा	126	पुराना-150 नया-587	पुराना-2318 नया-4676	0.48	उ०-नन्दकेश्वर सिंह, द०-कच्ची सड़क, पू०-बनारसी सिंह, प०-गजरू सिंह,
कुल रकबा:-				0.48	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता,
गढ़वा



अपर समाहर्ता,
गढ़वा